पत्रांक– आ0आ0बी0यो0(को0)10 / 2008श्र0सं0–

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

विषय : राज्य के असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य योजनान्तर्गत 'बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011'' की स्वीकृति।

राज्य के सभी जिलों में केन्द्र प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना को काफी उत्साह के साथ राज्य में प्रारम्भ किया गया था। इस योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी भारतीय जीवन बीमा निगम है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया है। योजनांतर्गत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया अथवा कमाउ सदस्य का बीमा किया जाता है। बीमित व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु, पूर्ण अपंगता एवं आंशिक अपंगता की दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मृतक के आश्रितों अथवा बीमित व्यक्ति को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः रू0 30,000 / –, रू0 75,000 / –, रू0 75,000 / – एवं रू0 37,500 / – का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त बीमित व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले 2 बच्चों को प्रतिमाह रू0 100 / – (एक सौ) की दर से छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान है। योजनांतर्गत प्रीमियम की कुल राशि रू0 200 / – (दो सौ) है जो 50:–50: के अनुपात में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। योजना अंतर्गत बीमित ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मिले लाभों की उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान वित्त विभाग का परामर्श हुआ कि आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करने से अच्छा एवं कम व्यय का विकल्प यह होगा कि लाभ की राशि सीधे राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में लाभुकों को दे दी जाए।

2. आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम को राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवारों से संबंधित ग्रामवार, प्रखण्डवार एवं जिलावार आंकड़े निर्धारित फार्मेट में प्रीमियम की राज्यांश की राशि सहित विभाग द्वारा भेजे जाते हैं तथा वह संबंधित व्यक्तियों को बीमित करती है। बीमा के प्रमाण स्वरूप वह लाभुकों को विभाग के माध्यम से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है, जिसके आलोक में विविध लाभों के लिए लाभुकों द्वारा यथासमय दावा पत्र दायर किया जाता है। ऑकड़ों के संग्रह, प्रमाण पत्रों का प्रारूप तथा दावा पत्र दायर करने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित है। यह पाया गया है कि आंकड़े उपलब्ध कराने तथा प्रीमियम का राज्यांश आंकड़ों के साथ जमा करने के बावजूद भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमित व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता तथा दावों के निष्पादन का कार्य भी तेजी से एवं संतोषप्रद ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाता है। इस संबंध में लगातार भारतीय जीवन बीमा निगम तथा केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। वर्ष 2008 से प्रीमियम मद में केवल राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल 22,23,50,000 / – (बाईस करोड़ तेईस लाख पच्चास हजार) की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को

दी गई है। उतनी ही राशि केन्द्र सरकार ने भी केन्द्रांश के रूप में सीधे निगम को दिया है। परंतु इसके विरूद्ध 2008–09 से अब तक कुल मिलाकर मात्र 2,57,06,100/ रूपए (दो करोड़ संतावन लाख छः हजार एक सौ) ही भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दावा भुगतान मद में व्यय किया गया है।

3. उपरोक्त परिस्थिति में वित्त विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में केन्द्र प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना को समाप्त कर बिहार राज्य के कामगारों एवं शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य योजनांतर्गत उपरोक्त योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

4. इस योजना का नाम ''बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011'' होगा जो दिनांक 1.4.2011 के प्रभाव से लागू होगी। इस योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

i. यह योजना बिहार राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18–65 वर्ष की उम्र के मजदूरों तथा शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

ii. इस योजना का लाभ बिहार निवासी वैसे कामगारों एवं शिल्पकारों को मिलेगा जो बिहार राज्य में ही काम करते हैं।

iii. यह योजना आम आदमी बीमा योजना का स्थान लेगी। परन्तु शुरूआत में उन व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होगी जो आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत बीमित हैं। इसी प्रकार यह योजना उन निर्माण कामगारों पर भी लागू नहीं होगी जिन्हें भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (सेवा शर्त्त) अधिनियम, 1996 एवं तत्संबंधी नियमावली के आलोक में निबन्धित किया गया है।

iv. इस योजना के अनुसार यदि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी कामगार अथवा शिल्पकार की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनके आश्रित को रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपए) का अनुदान दिया जाएगा।

v. इसी प्रकार दुर्घटना में पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75000/– रूपए (पचहत्तर हजार रूपए) तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में 37500/– रूपए (सैंतीस हजार पॉच सौ रूपए) का अनुदान दिया जाएगा।

vi. यदि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी कामगार एवं शिल्पकार की सामान्य मृत्यु होती है तो उनके आश्रित को 30,000/– रूपए (तीस हजार रूपए) का अनुदान दिया जाएगा।

vii. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार एवं शिल्पकार के दो बच्चों तक को कक्षा नौ से बारह, सरकारी पौलीटेक्निक तथा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दीर्घकालीन व्यवसाय के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने की दशा में प्रति माह 100/– रूपए (एक सौ रूपए) की दर से एक मुश्त 1200/–(बारह सौ रूपए) वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

viii. यदि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई कामगार या शिल्पकार किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है तो अस्पताल में कम

से कम 5 दिनों तक भर्ती रहने की दशा मे उनकी चिकित्सा एवं अन्य व्यय के लिए 5000/– रूपए (पॉच हजार रूपए) का चिकित्सा सहायता अनुदान दिया जाएगा।

ix. यदि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई कामगार या शिल्पकार असाध्य रोगों से ग्रस्त हो तो उन्हें चिकित्सा सहायता अनुदान के रूप में एक निश्चित राशि दी जाएगी। जिन असाध्य रोगों में राशि दी जाएगी उनका विवरण योजना आलेख में अंकित है।

x. उपरोक्त अनुदान स्वीकृत करने के लिए यथानुसार संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी तथा छात्रवृत्ति के मामले में बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को प्राधिकृत किया गया है। साथ ही अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है।

xi. अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र तथा उनकी जॉच की प्रक्रिया निर्धारित कर उसे योजना आलेख का हिस्सा बना दिया गया है।

xii. राज्य स्तर पर योजना का नोडल प्राधिकार बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी होंगे।

xiii. अनुदान के दावों के अस्वीकार हो जाने की दशा में संबंधित व्यक्ति श्रमायुक्त के यहॉ अपील कर सकते हैं।

xiv. योजना के कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए अनुदान के दावों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के सभी निर्णय वेबसाइट पर डाले जाने का प्रावधान है।

5. योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र को योजना आलेख की कंडिका 2 (p) में पारिभाषित कर दिया गया है। असंगठित क्षेत्र से तात्पर्य होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित सभी नियोजन। वर्तमान में ऐसे नियोजनों की संख्या 88 है।

6. इसी प्रकार शिल्पकार को भी योजना आलेख की कण्डिका 2(c) में पारिभाषित कर दिया गया है। शिल्पकार की परिभाषा में लोहार, बढ़ई, कुम्भकार जैसे परम्परागत शिल्पकारों के साथ मल्लाह, पशुपालक, रंगरेज, नाई, मदारी, रिक्शा चालक, गाड़ीवान, ठठेरा, फेरी वाला, चर्मकार, दर्जी, खिलौना बनाने आदि व्यवसायों में कार्यरत कामगारों को शामिल किया गया है।

7. ग्रामीण भूमिहीनों का सर्वेक्षण नहीं होने के कारण आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत उन्हें चिह्नित करने के काम में काफी कठिनाई आ रही थी। जिला प्रशासन को इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों का आवेदन पत्र लेना तथा उनके भूमिहीन होने की जॉच भी करनी पड़ती थी। ऐसा होने से आवेदन प्राप्त करने तथा भूमिहीनों के आंकड़े जीवन बीमा निगम को भेजने में काफी समय लग रहा था। परंतु वर्तमान योजना में यह व्यवस्था की गई है कि संबंधित कामगार एवं शिल्पकार सीधे योजना अंतर्गत सक्षम प्राधिकार को आवेदन पत्र दे सकते हैं तथा इससे लाभान्वित हो सकते हैं।

8. आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। प्रस्तावित योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं शिल्पकारों को लाभ मिलेगा। आम आदमी बीमा योजना में केवल सामान्य मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु, दुर्घटना के फलस्वरूप अपंगता तथा बीमित व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले दो बच्चों को छात्रवृत्ति देने

का ही प्रावधान है। प्रस्तावित योजना में इन लाभों के अतिरिक्त असाध्य रोगों से ग्रसित होने, दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने तथा पॉलीटेक्नीक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को भी छात्र वृत्ति देने का प्रावधान जोड़ दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित योजना आम आदमी बीमा योजना से अधिक व्यापक है।

9. इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना मद में 1,26,00000/– (एक करोड़ छब्बीस लाख रूपए) का बजट प्रावधान व्यय शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–200–अन्य कार्यक्रम–मांग संख्या–26–उप शीर्ष–0102 असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा योजना विपत्र कोड (P2235022000102) में कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुदान मद में दी जाने वाली राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

10. इस योजना अन्तर्गत उद्व्यय एवं बजट उपबंध की राशि बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, जो कि विभाग की निबंधित संस्था है, को उपलब्ध कराई जाएगी । बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति द्वारा जिलों के मांग के अनुरूप निधि का आवंटन किया जाएगा ।

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को प्रदत्त राशि Corpus Fund के रूप में रहेगी जिससे आवश्यकतानुसार अनुदान की राशि जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी एवं छात्रवृत्ति की राशि सीधे समिति द्वारा दिया जाएगा ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1157 पटना, दिनांकः– 16.03.12

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियॉ श्रम संसाधन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1157 पटना, दिनांकः– 16.03.12

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1157 पटना, दिनांकः– 16.03.12

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार सरकार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1157 पटना, दिनांकः– 16.03.12

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/योजना एवं आवास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1157 पटना, दिनांकः– 16.03.12

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/उप मुख्यमंत्री, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1157 पटना, दिनांकः– 16.03.12

प्रतिलिपि : सभी विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग/श्रमायुक्त/संयुक्त श्रमायुक्त/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/आय व्ययक प्रशाखा–02(प्रशाखा पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।